

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

## —: आदेश :—

क्रमांक-३७८ / दो-११-५/१७

सागर, दिनांक ०९ अप्रैल, २०२५

प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि एवं कार्य व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण की आगामी आदेश तक निम्नानुसार पदस्थापना की जाती है।

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद नाम	कहाँ से	कहाँ को	किसके स्थान पर
1	श्री गिरीश सोनी सहा०ग्रेड-३	प्रस्तुतकार व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी जिला सागर <b>(रिक्त न्यायालय)</b>	प्रस्तुतकार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खुरई जिला सागर (श्री प्रतीक सिंह तोमर)	रिक्त स्थान पर
2	श्री अभिजीत प्रजापति, सहा०ग्रेड-३	निष्पादन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी जिला सागर <b>(रिक्त न्यायालय)</b>	निष्पादन लिपिक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खुरई जिला सागर (श्री प्रतीक सिंह तोमर)	रिक्त स्थान पर
3	श्री जयदीप प्रजापति, सहा०ग्रेड-३	निष्पादन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रहली जिला सागर <b>(रिक्त न्यायालय)</b>	साक्ष्य लेखक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खुरई जिला सागर (श्री प्रतीक सिंह तोमर)	रिक्त स्थान पर
4	श्रीमती अनीता रैकवार, सहा०ग्रेड-३	पंजीयन लिपिक पंजीयन अनुभाग खुरई जिला सागर	अतिरिक्त लिपिक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खुरई जिला सागर (श्री प्रतीक सिंह तोमर)	रिक्त स्थान पर
5	श्री छोटू कोरी, सहा०ग्रेड-३	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवरी जिला सागर <b>(रिक्त न्यायालय)</b>	पंजीयन लिपिक पंजीयन अनुभाग खुरई जिला सागर	श्रीमती अनीता रैकवार के स्थान पर।

6	श्री नीरज श्रीवास्तव सहा०ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खुरई जिला सागर (श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव)	प्रस्तुतकार नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर (सुश्री सुरभि सिंह सुमन)	श्री अखलेश सिंह ठाकुर के स्थान पर।
7	श्री अखलेश सिंह ठाकुर, सहा०ग्रेड-3	प्रस्तुतकार नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर (सुश्री सुरभि सिंह सुमन)	साक्ष्य लेखक तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खुरई जिला सागर (श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव)	श्री नीरज श्रीवास्तव के स्थान पर।
8	श्री रवि साहू स्टेनोग्राफर	स्टेनोग्राफर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर (श्री अकबर शेख)	स्टेनोग्राफर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रहली जिला सागर (डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह)	श्री रविशंकर दुबे के स्थान पर।
9	श्री रविशंकर दुबे, स्टेनोग्राफर	स्टेनोग्राफर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रहली जिला सागर (डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह)	स्टेनोग्राफर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर (श्री अकबर शेख)	श्री रवि साहू के स्थान पर।
10	श्री सौरभ विश्वकर्मा स्टेनो ग्रेड-3	स्टेनोग्राफर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई जिला सागर (सुश्री प्रथा श्रीवास्तव)	साक्ष्य लेखक / स्टेनोग्राफर नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर (श्री राजेश सिंह)	श्री विकम चौबे के स्थान पर।
11	श्री विकम चौबे, सहा०ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर (श्री राजेश सिंह)	अतिरिक्त लिपिक प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई जिला सागर (सुश्री प्रथा श्रीवास्तव)	श्री सौरभ विश्वकर्मा के स्थान पर।
12	श्रीमती हेमा दांगी, सहा०ग्रेड-2	आसंजित लिपिक ग्रन्थालय अनुभाग, सागर	आसंजित लिपिक प्रतिलिपि अनुभाग सागर	श्रीमती राधिका शर्मा के स्थान पर।
13	श्रीमती राधिका शर्मा, सहा०ग्रेड-3	आसंजित लिपिक प्रतिलिपि अनुभाग सागर	सहायक ग्रन्थपाल ग्रन्थालय अनुभाग, सागर	श्रीमती हेमा दांगी के स्थान पर।

### नोट :-

- समस्त स्थानांतरित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन न्यायालय में नवीन पद पर **दिनांक 12.04.2025** अथवा उसके पूर्व अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पूर्व ही अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। अवहेलना की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

2. संबंधित पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि कृपया स्थानांतरित कर्मचारीगण को इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देशित करें कि वे दिनांक **12.04. 2025** तक अथवा इसके पूर्व नवीन न्यायालय में नवीन पद पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें एवं उनकी उपस्थिति तथा चार्ज होने पर रिपोर्ट/प्रतिवेदन कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त कर्मचारीगण अपने पदीय कर्तव्यों से संबंधित चार्ज 01 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से स्थानांतरित कर्मचारी को सौंपकर चार्ज रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4. निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण आवेदन पत्र **विचारोपरांत नस्तीबद्ध किये जाते हैं :-**
  1. श्री रामनंदन सोनी, साक्ष्य लेखक, न्यायालय व्य0न्या0कनि0ख0 शाहगढ़ जिला सागर,
  2. श्री मोहम्मद आबिद खान, स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश रहली जिला सागर
  3. श्री गोविंद प्रसाद कुशवाहा, निष्पादन लिपिक, न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश, बीना जिला सागर
  4. श्री हरिओम दुबे, प्रस्तुतकार, न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश, बीना जिला सागर।

*S/—*  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर (म.प्र.)  
सागर, दिनांक 09, अप्रैल 2025

पृष्ठांकन क्रमांक-२०५५/दो-११-५/१७,

#### प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक/स्टेनोग्राफर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय सागर।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत/प्रतिलिपि/पंजीयन/प्रतिलिपि/ग्रन्थालय अनुभाग, सागर/खुरई/देवरी/रहली जिला न्यायालय सागर।
3. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर।
4. नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सागर।
5. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सागर।
6. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खुरई जिला सागर।
7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई जिला सागर।
8. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रहली जिला सागर।
9. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, खुरई के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खुरई जिला सागर .....
10. .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि कृपया संबंधित कर्मचारीगण के द्वारा दिनांक **12.04.2025** तक अथवा उसके पूर्व अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारीगण के कार्यभार ग्रहण किये जाने के पूर्व नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनकी उपस्थिति कार्यालय को अविलंब भेजा जाने हेतु प्रेषित।
11. संबंधित कर्मचारियों की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे नवीन पद पर दिनांक **12.04.2025** तक अथवा उसके पूर्व अथवा संबंधित पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन तत्काल कार्यालय की ओर प्रेषित करें।

12. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
13. लेखापाल / वेतन लिपिक / प्रेषक लिपिक कार्यालय अनुभाग, सागर
14. श्री विकास जैन, सहा.ग्रेड-3, कार्यालय अनुभाग, सागर की ओर आदेश को एच.आर.एम.एस. सॉफ्टवेयर में अपडेट करने हेतु प्रेषित।
15. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय सागर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानांतरण आदेश की प्रति ई-मेल के माध्यम से संबंधित न्यायालयों/अनुभागों की ओर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर (म.प्र.)

०९०९